



## लोकतंत्र के लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए लोकतंत्र

सत्य नरायन यादव, सुरमल नार्वे

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, स्व. गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय बोरावां (खरगोन), मध्य प्रदेश

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20699369>

### ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 25-05-2026

Published: 10-06-2026

### Keywords:

लोकतंत्र के लिए शिक्षा,  
शिक्षा के लिए लोकतंत्र,  
संवैधानिक नैतिकता,  
समावेशी शिक्षा, शिक्षक की  
भूमिका

### ABSTRACT

यह शोध पत्र 'लोकतंत्र' और 'शिक्षा' के मध्य विद्यमान गहरे और अविभाज्य संबंधों का एक व्यापक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। शोध का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मानवीय ढंग है, जिसकी सफलता पूर्णतः एक जागरूक, तर्कसंगत और संवेदनशील शिक्षा व्यवस्था पर टिकी है। शिक्षा वह आधारशिला है जो नागरिक को वैचारिक संकीर्णताओं से मुक्त कर उनमें 'संवैधानिक नैतिकता' और 'आलोचनात्मक सोच' का बीजारोपण करती है। शोध के माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा के अधिकार (RTE) ने शिक्षा को एक सामाजिक विशेषाधिकार से ऊपर उठाकर मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है, जो लोकतांत्रिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अध्ययन में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षक और शिक्षण संस्थान लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और सहभागी प्रशासन भविष्य के उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के विशेष संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि लचीली और बहुविषयक शिक्षा पद्धति ही आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत कर सकती है। हालांकि, शोध 'डिजिटल विभाजन' और 'शिक्षा के व्यवसायीकरण' जैसी समकालीन चुनौतियों को लोकतांत्रिक समरसता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में भी चिन्हित करता है। अंततः, यह शोध पत्र यह सुझाव देता है कि जब शिक्षा केवल रोजगारपरक न होकर 'जीवनपरक' बनेगी और तकनीकी व व्यावहारिक

गतिविधियों (जैसे मॉक पार्लियामेंट) के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुँचेगी, तभी भारत एक समृद्ध और न्यायपूर्ण लोकतंत्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान सुदृढ़ कर पाएगा।

## 1. प्रस्तावना (Introduction)

लोकतंत्र और शिक्षा के मध्य एक गहरा और सहजीवी संबंध होता है, जहाँ एक का अस्तित्व दूसरे की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। महान दार्शनिक जॉन डीवी ने स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति या राजनीतिक व्यवस्था मात्र नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से सामूहिक जीवन जीने का एक ढंग और साझा अनुभवों के आदान-प्रदान की एक विधि है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता सीधे तौर पर उसके नागरिकों की जागरूकता, संवेदनशीलता और उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। यहीं पर शिक्षा की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है।

शिक्षा वह आधारभूत और गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करती है और उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामाजिक और राष्ट्रीय हितों के बारे में सोच सके। एक परिपक्व लोकतंत्र में नागरिक केवल 'वोट' देने वाली इकाई नहीं होते, बल्कि वे नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने वाले विवेकशील प्राणी होते हैं। शिक्षा व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत करती है, तो साथ ही उसे उसके नागरिक कर्तव्यों का बोध भी कराती है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यही संतुलन एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। जहाँ एक ओर लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा लोकतंत्र के रक्षक (Guardians) तैयार करती है। यदि समाज शिक्षित और तार्किक नहीं होगा, तो लोकतंत्र 'भीड़तंत्र' (Mobocracy) में बदल सकता है, जहाँ भावनाओं और भ्रामक प्रचार के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। शिक्षा इस भीड़ को एक 'विवेकशील तंत्र' में परिवर्तित करती है, जहाँ प्रत्येक नागरिक तथ्यों, तर्क और नैतिकता के आधार पर अपनी राय रखता है। शिक्षा वह वैचारिक अस्त्र है जो लोकतंत्र की जड़ों को गहराई प्रदान करती है और उसे समय की चुनौतियों के विरुद्ध अडिग बनाए रखती है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र एक खोखला ढांचा मात्र रह जाता है, जबकि एक सुशिक्षित समाज में यह निरंतर विकसित होने वाली एक जीवंत शक्ति बन जाता है।

## 2. शोध की आवश्यकता एवं महत्व (Need and Significance of the Study)

समकालीन युग सूचना क्रांति का युग है, जहाँ तकनीक के माध्यम से सूचनाओं का अभूतपूर्व विस्फोट हुआ है। किंतु, इस सूचनात्मक बाढ़ के साथ एक गंभीर संकट भी उत्पन्न हुआ है सही और गलत, तथ्य और भ्रामक प्रचार



(Fake News) के मध्य भेद करने की मानवीय क्षमता में निरंतर कमी आई है। आज के समय में सूचनाएं तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन 'विवेक' और 'तार्किक विश्लेषण' का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे जटिल समय में इस शोध की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह समाज को यह मार्ग दिखाता है कि कैसे एक सुदृढ़ और दूरदर्शी शैक्षिक ढांचा हमारे आधारभूत लोकतांत्रिक मूल्यों स्वतंत्रता, समानता और न्याय को न केवल जीवित रख सकता है, बल्कि उन्हें और भी प्रखर बना सकता है। इस शोध की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए केवल साक्षरता पर्याप्त नहीं है, बल्कि 'लोकतांत्रिक साक्षरता' अनिवार्य है। वर्तमान में समाज के ध्रुवीकरण और कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि शिक्षा किस प्रकार नागरिकों में सहिष्णुता और बहुलवाद के प्रति सम्मान पैदा कर सकती है। यह शोध उन शैक्षिक कमियों को उजागर करने का प्रयास करता है जो एक सजग नागरिक बनने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं।

महत्व की दृष्टि से यह अध्ययन अत्यंत व्यापक है। यह शोध नीति निर्माताओं (Policy Makers) के लिए एक संदर्भ ग्रंथ का कार्य करेगा, जिससे उन्हें भविष्य की शैक्षिक योजनाओं को लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप ढालने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह शिक्षाविदों के लिए एक नई दिशा प्रशस्त करेगा ताकि वे पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तनों का सुझाव दे सकें जो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति के बजाय आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) को बढ़ावा दें। यह शोध यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षा में निवेश करना वास्तव में लोकतंत्र की आयु और गुणवत्ता में निवेश करना है। यह अध्ययन न केवल अकादमिक जगत के लिए बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक और समय की मांग है।

### 3. साहित्य सर्वेक्षण (Literature Review)

साहित्य सर्वेक्षण किसी भी शोध की वह सुदृढ़ नींव है, जो विषय की ऐतिहासिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है। लोकतंत्र और शिक्षा के अंतर्संबंधों पर विश्वभर के शिक्षाविदों और विचारकों ने गंभीर चिंतन किया है। इस शोध के अंतर्गत निम्नलिखित पांच प्रमुख उद्धरणों और सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है:

- **जॉन डीवी (John Dewey):** अपनी कालजयी कृति '*डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन*' (1916) में डीवी ने तर्क दिया कि "विद्यालय समाज का एक लघु रूप (Miniature Society) है।" उनका मानना था कि यदि विद्यालय का वातावरण लोकतांत्रिक नहीं होगा, तो छात्र समाज में जाकर लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। उनके अनुसार, शिक्षा सामाजिक निरंतरता का आधार है।
- **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन:** स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया था कि "शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना या जानकारी एकत्रित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का



सर्वांगीण विकास और मानवीय आत्मा का परिष्कार करना है।" उन्होंने शिक्षा को राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक स्वतंत्रता में बदलने का सेतु माना।

- **कोठारी आयोग (1964-66):** इस आयोग की रिपोर्ट का प्रसिद्ध कथन है— "भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।" आयोग ने यह प्रतिपादित किया कि लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का प्रसार केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। शिक्षा ही वह औजार है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक मूल्यों को जन्म देती है।
- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर:** सामाजिक लोकतंत्र के प्रणेता अंबेडकर ने शिक्षा को "शेरनी का दूध" कहा था। उनका दृढ़ विश्वास था कि "शिक्षा, संगठन और संघर्ष" के माध्यम से ही समाज के वंचित वर्ग लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए शिक्षा समानता और न्याय की प्राप्ति का प्राथमिक अस्त्र थी।
- **महात्मा गांधी:** गांधीजी की 'बुनियादी शिक्षा' (वर्धा योजना) का मूल मंत्र ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। उनका मानना था कि "शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना है।" उन्होंने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जो नागरिक को आत्मनिर्भर और अहिंसक समाज का हिस्सा बनाए।

इन महान विचारकों और आयोगों का साहित्य यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा और लोकतंत्र एक-दूसरे के पूरक हैं। पूर्व के ये कार्य वर्तमान शोध को यह समझने का आधार प्रदान करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही एक न्यायपूर्ण और जागरूक समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है।

#### 4. शोध समस्या का कथन

प्रस्तुत शोध कथन- 'लोकतंत्र के लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए लोकतंत्र' है।

#### 5. शोध के उद्देश्य

- लोकतंत्र और शिक्षा के पारस्परिक संबंधों की सूक्ष्म व्याख्या करना।
- यह जांचना कि क्या वर्तमान पाठ्यक्रम छात्रों में नागरिक बोध पैदा कर रहा है।
- शिक्षा की सुलभता और लोकतांत्रिक समानता के बीच के अंतर का विश्लेषण करना।
- लोकतांत्रिक नागरिकों के निर्माण में शिक्षकों की वास्तविक भूमिका को रेखांकित करना।

#### 6. शोध विधि

प्रस्तुत शोध में **वर्णनात्मक (Descriptive)** और **गुणात्मक (Qualitative)** शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। यह शोध मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है। आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रसिद्ध शिक्षाविदों के लेखों, सरकारी नीतियों (जैसे NEP 2020), संवैधानिक अनुच्छेदों और पूर्व के शोध प्रबंधों का तार्किक विश्लेषण किया गया है।

## 7. लोकतंत्र के लिए शिक्षा के दार्शनिक आधार (Philosophical Foundations of Education for Democracy)

शिक्षा का दार्शनिक पक्ष मूल रूप से इस सत्य को स्वीकार करता है कि मनुष्य एक जन्मजात सामाजिक प्राणी है। अरस्तू से लेकर आधुनिक विचारकों तक यह माना गया है कि व्यक्ति का पूर्ण विकास केवल समाज के भीतर ही संभव है, और एक सुव्यवस्थित समाज में रहने के लिए उसे विशिष्ट नैतिक और सामाजिक मूल्यों की अनिवार्य आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के संदर्भ में शिक्षा का दर्शन केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर 'लोकतांत्रिक विवेक' को जाग्रत करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति में 'आलोचनात्मक सोच' (Critical Thinking) का बीज बोना है, जो उसे सूचनाओं के अंबार में से सत्य को खोजने की शक्ति प्रदान करता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण से, लोकतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ है- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें जीवन के व्यवहार में उतारना। यह दर्शन व्यक्ति को 'अंधानुकरण' (Blind Following) की प्रवृत्ति से मुक्त करता है। अक्सर देखा जाता है कि अज्ञानता के कारण जनमानस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जहाँ तर्क के बजाय भावनाओं का आवेग प्रबल होता है। शिक्षा का दार्शनिक आधार यहाँ हस्तक्षेप करता है और व्यक्ति को सिखाता है कि वह किसी भी विचारधारा, सूचना या नेतृत्व को बिना सोचे-समझे स्वीकार न करे, बल्कि तर्क, साक्ष्य और आत्म-विवेक के आधार पर निर्णय ले।

यह दर्शन 'आत्म-अनुशासन' और 'सामाजिक उत्तरदायित्व' के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह मानता है कि लोकतंत्र में 'स्वतंत्रता' का अर्थ उच्छृंखलता नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान और साझा मूल्यों की सुरक्षा है। प्लेटो और रूसो जैसे दार्शनिकों ने भी ऐसी शिक्षा पर बल दिया था जो नागरिक को राज्य और समाज के प्रति जागरूक बनाए। संक्षेप में, लोकतंत्र के लिए शिक्षा का दार्शनिक आधार व्यक्ति को एक जागरूक 'कर्ता' (Agent) के रूप में विकसित करता है, जो केवल आदेशों का पालन नहीं करता, बल्कि अपनी विवेकपूर्ण भागीदारी से लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखता है। यह एक ऐसी वैचारिक यात्रा है जो व्यक्ति को 'स्व' से ऊपर उठाकर 'सर्व' के कल्याण की ओर ले जाती है।

## 8. शिक्षा के लिए लोकतंत्र और अवसरों की समानता (Democracy for Education and Equality of Opportunities)



लोकतंत्र की मूल आत्मा 'समानता' के सिद्धांत में निहित है। जब हम 'शिक्षा के लिए लोकतंत्र' की बात करते हैं, तो इसका सीधा अर्थ शैक्षिक अवसरों का लोकतंत्रीकरण करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, बिना किसी जन्म, जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक अक्षमता या आर्थिक पृष्ठभूमि के भेदभाव के, अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर प्राप्त हों। लोकतंत्र यह मानता है कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार (Privilege) नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का एक अपरिहार्य अधिकार (Right) है। यदि शिक्षा केवल संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाए, तो लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर होने लगता है और समाज में वैचारिक व आर्थिक खाई और गहरी हो जाती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस आवश्यकता को गहराई से समझा था। **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A** इसी लोकतांत्रिक भावना का सबसे सशक्त प्रतीक है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा' की गारंटी देता है। यह संवैधानिक प्रावधान इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह गरीबी या सामाजिक बाधाओं के कारण किसी भी बालक को शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर न होने दे। 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE Act) इसी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को कानूनी अमलीजामा पहनाता है, ताकि लोकतंत्र की जड़ें समाज के अंतिम छोर तक पहुँच सकें।

अवसरों की समानता का अर्थ केवल स्कूल में प्रवेश दिलाना मात्र नहीं है, बल्कि 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' की समान उपलब्धता भी है। इसमें छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal) और विशेष सहायता जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो एक 'समान खेल का मैदान' (Level Playing Field) तैयार करते हैं। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हाशिए पर खड़े समुदायों को सशक्त बनाता है और उन्हें राष्ट्र की निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में भाग लेने के योग्य बनाता है। संक्षेप में, शिक्षा में समानता ही वह माध्यम है जिससे सामाजिक न्याय का सपना साकार होता है। जब तक शिक्षा के अवसर पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं होंगे, तब तक समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करना और एक वास्तविक जनतंत्र की स्थापना करना असंभव है।

### 9. शिक्षक की भूमिका और आदर्श व्यक्तित्व (Role of Teacher and Ideal Personality)

लोकतांत्रिक शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया की धुरी शिक्षक होता है। किसी भी राष्ट्र की शैक्षिक संरचना चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, उसका वास्तविक क्रियान्वयन शिक्षक की योग्यता और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में एक शिक्षक की भूमिका केवल सूचना प्रदाता या ज्ञान के हस्तांतरणकर्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक 'लोकतांत्रिक आदर्श' का जीवंत उदाहरण होता है। एक आदर्श शिक्षक वही है जो स्वयं लोकतांत्रिक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करे, क्योंकि छात्र उपदेशों से अधिक शिक्षक के व्यवहार से सीखते हैं। यदि शिक्षक स्वयं निष्पक्ष, न्यायप्रिय और धैर्यवान है, तो उसके छात्र स्वाभाविक रूप से इन गुणों को आत्मसात कर लेते हैं।



शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपनी कक्षा में पूर्णतः भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण करे। उसे जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या छात्र की बौद्धिक क्षमता के आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता 'समान गरिमा' के बोध में है, और शिक्षक छात्रों के बीच इसी गरिमा को स्थापित करता है। इसके साथ ही, शिक्षक को छात्रों की 'वैचारिक स्वतंत्रता' का हृदय से सम्मान करना चाहिए। उसे छात्रों को केवल अपनी बात मानने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें तर्क करने, प्रश्न पूछने और असहमति व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक लोकतांत्रिक कक्षा वही है जहाँ छात्र निर्भय होकर अपने विचार रख सकें।

शिक्षक ही वह वास्तविक मार्गदर्शक है जो छात्रों को संकुचित विचारधाराओं, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठाता है। वह छात्रों में 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'राष्ट्रहित' की भावना का संचार करता है। वह उन्हें सिखाता है कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद राष्ट्र की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। संक्षेप में, लोकतांत्रिक शिक्षक एक ऐसा सूत्रधार है जो छात्रों की चेतना को परिष्कृत कर उन्हें एक जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक वैश्विक नागरिक के रूप में गढ़ता है। शिक्षक के बिना लोकतंत्र की शिक्षा केवल सैद्धांतिक रह जाएगी; वह शिक्षक ही है जो इसे छात्रों के चरित्र का हिस्सा बनाता है।

#### 10. शिक्षण संस्थानों में लोकतांत्रिक वातावरण (Democratic Environment in Educational Institutions)

शिक्षण संस्थान समाज का वह दर्पण होते हैं जहाँ भविष्य के नागरिकों का चरित्र गढ़ा जाता है। यदि किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा तानाशाही पूर्ण, केंद्रीकृत और दमनकारी है, तो वहां से लोकतांत्रिक मूल्यों से ओत-प्रोत नागरिक निकलना लगभग असंभव है। लोकतंत्र केवल किताबी पाठ नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे छात्र अपने परिवेश से सीखते हैं। संस्थानों में निर्णय लेने की प्रक्रिया (Decision-making process) में केवल उच्च अधिकारियों का वर्चस्व न होकर शिक्षकों और छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। जब शिक्षकों को नीति निर्धारण में स्वतंत्रता मिलती है और छात्रों को अपनी समस्याओं व सुझावों को रखने का मंच प्राप्त होता है, तब संस्थान में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की लोकतांत्रिक भावना जन्म लेती है।

संस्थान के भीतर लोकतांत्रिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र 'कक्षा' (Classroom) है। कक्षा में छात्रों को निर्भय होकर प्रश्न पूछने, संदेह व्यक्त करने और शिक्षक के विचारों से शालीनतापूर्वक असहमति जताने की अनुमति देना ही शिक्षा का वास्तविक लोकतंत्रीकरण है। एक 'मौन कक्षा' अनुशासित तो लग सकती है, लेकिन वह वैचारिक विकास के द्वार बंद कर देती है। इसके विपरीत, एक जीवंत कक्षा वह है जहाँ संवाद द्विमार्गी (Two-way communication) होता है। जब छात्र यह देखते हैं कि उनके विचारों का सम्मान किया जा रहा है, तो उनमें आत्मविश्वास और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षण संस्थानों में छात्र परिषदों और विभिन्न समितियों



का गठन किया जाना चाहिए ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। यह वातावरण छात्रों को यह सिखाता है कि लोकतंत्र में अधिकारों के साथ-साथ संस्थागत नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। अनुशासन डंडे के बल पर नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक विमर्श के माध्यम से स्थापित होना चाहिए। संक्षेप में, यदि शिक्षण संस्थान स्वयं लोकतंत्र की जीवंत प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे, तभी वे ऐसे नागरिकों का निर्माण कर पाएंगे जो समाज में जाकर न्याय, समता और बंधुत्व के मूल्यों को मजबूती प्रदान करेंगे।

### 11. पाठ्यक्रम निर्माण और संवैधानिक मूल्य (Curriculum Construction and Constitutional Values)

शिक्षा का पाठ्यक्रम समाज की वैचारिक दिशा निर्धारित करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो केवल बाज़ार की माँगों को पूरा करने वाला या 'रोजगार परक' ही न हो, बल्कि वह व्यापक अर्थों में 'जीवन परक' भी हो। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल कुशल कर्मचारी तैयार करना नहीं, बल्कि संवेदनशील और जागरूक नागरिक गढ़ना है। इसके लिए आवश्यक है कि शैक्षिक सामग्री में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नागरिक कर्तव्यों का समावेश अत्यंत गहराई और सूक्ष्मता के साथ किया जाए। जब छात्र अपने प्रारंभिक वर्षों में ही संवैधानिक नैतिकता को समझ लेते हैं, तो वे भविष्य में लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में उभरते हैं।

लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम की एक अनिवार्य विशेषता 'विविधता का सम्मान' (Respect for Diversity) होनी चाहिए। भारत जैसे विशाल और बहुसांस्कृतिक देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएँ, धर्म और परंपराएँ साथ-साथ फलती-फूलती हैं, वहाँ पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और समझ के पाठ होने चाहिए। यदि पाठ्यक्रम केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा, तो समाज में कट्टरता और संकीर्णता बढ़ेगी। इसके विपरीत, एक समावेशी पाठ्यक्रम छात्रों को यह सिखाता है कि मतभेद शत्रुता का कारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र की खूबसूरती हैं। यह छात्रों को एक 'बहुलवादी समाज' (Pluralistic Society) में सामंजस्य बैठाने और दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करने की मानसिक शक्ति प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' (Scientific Temper) और 'आलोचनात्मक सोच' को विशेष स्थान मिलना चाहिए। छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे सूचनाओं को केवल रटें नहीं, बल्कि उन्हें संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर कसें। पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय चेतना जैसे विषयों का जुड़ाव होना चाहिए। जब शिक्षा का आधार संवैधानिक मूल्य होते हैं, तो वह समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पूर्वग्रहों को तोड़ने का कार्य करती है। संक्षेप में, एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए पाठ्यक्रम को केवल सूचनाओं का संग्रह न होकर, लोकतांत्रिक व्यवहार की एक मार्गदर्शिका होना चाहिए, जो छात्र को एक 'वैश्विक नागरिक' के रूप में विकसित कर सके।



## 12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विशेष संदर्भ (Special Reference to National Education Policy 2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का एक नया और क्रांतिकारी अध्याय माना जा सकता है। यह नीति केवल संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका 'लचीलापन' (Flexibility) है, जो छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुनने की स्वतंत्रता देता है। 'बहुविषयक शिक्षा' (Multidisciplinary Education) का प्रावधान कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच की कठोर सीमाओं को तोड़ता है, जो लोकतंत्र के बहुआयामी स्वरूप के अनुकूल है। जब एक छात्र विज्ञान के साथ संगीत या राजनीति शास्त्र के साथ गणित पढ़ता है, तो उसका बौद्धिक विकास अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक होता है।

यह नीति 'रटत विद्या' (Rote Learning) की दशकों पुरानी परंपरा को समाप्त कर 'समझ आधारित शिक्षा' (Conceptual Understanding) और आलोचनात्मक सोच पर जोर देती है। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो तथ्यों का विश्लेषण कर सकें, न कि केवल उन्हें रट सकें। NEP 2020 कौशल विकास (Skill Development) और अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) को प्राथमिकता देकर शिक्षा को रोजगार और जीवन दोनों से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह भाषा की बाधा को दूर कर ज्ञान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ बनाता है।

नीति में 'समान और समावेशी शिक्षा' पर विशेष बल दिया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) की शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित करती है। 'डिजिटल साक्षरता' और तकनीक के समावेश से शिक्षा को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव (360-डिग्री रिपोर्ट कार्ड) छात्रों के केवल शैक्षिक ही नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और व्यावहारिक कौशलों को भी महत्व देता है। संक्षेप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी शैक्षिक नींव रखने का प्रयास कर रही है जो न केवल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो, बल्कि भारतीय संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक चेतना से भी ओत-प्रोत हो।

## 13. भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख शैक्षिक चुनौतियाँ (Educational Challenges before Indian Democracy)

भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में शिक्षा को लोकतंत्र का आधार बनाना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यद्यपि हमने साक्षरता के स्तर पर प्रगति की है, किंतु लोकतांत्रिक मूल्यों के वास्तविक प्रसार के मार्ग में आज भी कई गंभीर बाधाएं विद्यमान हैं। वर्तमान समय में 'डिजिटल विभाजन' (Digital Divide) एक सबसे बड़ी और नई चुनौती बनकर उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, जहाँ शिक्षा का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर हो गया है, वहाँ संसाधनों के अभाव में गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र निरंतर पिछड़ रहे हैं। तकनीक तक असमान



पहुँच समाज में एक नया 'शैक्षिक वर्ग-भेद' पैदा कर रही है, जो लोकतंत्र की मूल भावना समान अवसर के सीधे विरुद्ध है।

एक अन्य चिंताजनक चुनौती शिक्षा का बढ़ता व्यवसायीकरण (Commercialization of Education) है। जब शिक्षा एक सेवा के बजाय 'व्यापार' बन जाती है, तो इसकी पहुँच केवल संपन्न वर्ग तक सीमित हो जाती है। महंगे निजी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्कृतियों ने शिक्षा को एक ऐसी वस्तु बना दिया है जिसे केवल धन के बल पर खरीदा जा सकता है। यह स्थिति उस लोकतांत्रिक समानता के विचार को चोट पहुँचाती है जहाँ योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, न कि आर्थिक स्थिति को। इसके परिणामस्वरूप, समाज का एक बड़ा प्रतिभाशाली वर्ग केवल संसाधनों की कमी के कारण मुख्यधारा से बाहर हो जाता है, जो अंततः लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है।

इसके अतिरिक्त, हमारे सम्मुख गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और क्षेत्रीय विषमताएँ भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। आज भी कई सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की कमी और नवाचार का अभाव देखा जाता है। साथ ही, लैंगिक असमानता और जातिगत पूर्वग्रह अभी भी दूरदराज के क्षेत्रों में शैक्षिक पहुँच को बाधित करते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप और पाठ्यक्रम का संकीर्ण राजनीतिकरण भी छात्रों के स्वतंत्र और निष्पक्ष वैचारिक विकास में बाधा डालता है। जब तक शिक्षा व्यवस्था इन बाधाओं से मुक्त नहीं होगी, तब तक हम एक ऐसे 'प्रबुद्ध लोकतंत्र' की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ प्रत्येक नागरिक तार्किक और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो। इन चुनौतियों का समाधान करना केवल शैक्षिक सुधार नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र को बचाने की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

#### 14. सुझाव एवं भविष्यगामी रूपरेखा (Suggestions and Future Roadmap)

लोकतंत्र और शिक्षा के आदर्श समन्वय हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं:

- **प्रायोगिक नागरिक शिक्षा:** नागरिक शास्त्र और नैतिक शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर 'मॉक पार्लियामेंट' (छद्म संसद) और लोकतांत्रिक वाद-विवाद जैसी व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए।
- **समान स्कूल प्रणाली (Common School System):** सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार कर 'समान स्कूल प्रणाली' की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि अमीर और गरीब के बीच की शैक्षिक खाई को पाटा जा सके।
- **तकनीकी शिक्षा का लोकतंत्रीकरण:** डिजिटल साक्षरता और तकनीकी संसाधनों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोकतांत्रिक ढंग से पहुँचाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी छात्र संसाधनों के अभाव में पीछे न रहे।



- **शिक्षक प्रशिक्षण और नेतृत्व:** शिक्षकों को 'लोकतांत्रिक नेतृत्व' हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे कक्षा में एक ऐसा समावेशी वातावरण बना सकें जहाँ प्रत्येक छात्र की आवाज़ का सम्मान हो।
- **मूल्य आधारित और समावेशी पाठ्यक्रम:** पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रमुखता दी जाए और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने वाले पाठों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

## 15. निष्कर्ष (Conclusion)

यह शोध पत्र स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र और शिक्षा केवल दो अलग-अलग अवधारणाएँ नहीं हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के दर्पण और पूरक हैं। लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावी प्रक्रियाओं या संवैधानिक प्रावधानों में निहित नहीं है, बल्कि यह उस नागरिक चेतना पर निर्भर करती है जो केवल एक समावेशी और तर्कसंगत शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही निर्मित की जा सकती है। यदि शिक्षा व्यक्ति को 'आलोचनात्मक सोच' और 'नैतिक विवेक' प्रदान नहीं करती, तो लोकतंत्र एक निर्जीव ढांचे के समान रह जाता है।

शिक्षा वह शक्तिशाली शस्त्र है जो समाज की सदियों पुरानी कुरीतियों, अंधविश्वासों और संकीर्णताओं को समाप्त करने की क्षमता रखती है। यह केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि वह वैचारिक क्रांति है जो लोकतंत्र के मूल मूल्यों—स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व—को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तक पहुँचाती है। भविष्य का भारत तभी समृद्ध, सशक्त और अखंड होगा जब हमारी शिक्षा प्रणाली लोकतंत्र के चार स्तंभों को वैचारिक मजबूती प्रदान करेगी। शिक्षा ही वह सेतु है जो एक सामान्य व्यक्ति को 'जागरूक नागरिक' में परिवर्तित करती है, जिससे वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोकतांत्रिक समाज की रक्षा का भार शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों के कंधों पर है। जब विद्यालय और विश्वविद्यालय स्वयं लोकतंत्र की जीवंत प्रयोगशाला बनेंगे, तभी हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर पाएंगे जो न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी उत्तनी ही समर्पित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए अध्याय के साथ, हम एक ऐसी भविष्यगामी रूपरेखा की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ शिक्षा का लोकतंत्रीकरण ही राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अंततः, शिक्षा के माध्यम से ही हम उस 'प्रबुद्ध लोकतंत्र' के सपने को साकार कर सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, जे. सी. (2014). *आधुनिक भारतीय शिक्षा: समस्याएँ और समाधान*. विकास पब्लिशिंग हाउस।
2. एन.सी.ई.आर.टी. (2005). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। <https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-hindi.pdf>



3. दीवान, एच. (2018). *शिक्षा और लोकतंत्र: एक अंतर्संबंध*. राजकमल प्रकाशन।
4. मंत्रालय, शिक्षा. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार।  
[https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/NEP\\_Final\\_English\\_0.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf)
5. विकासपीडिया. (2024). *लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका और संवैधानिक प्रावधान*.  
<https://vikaspedia.in/education/>
6. यादव, आर. के. (2022). भारतीय उच्च शिक्षा में समावेशी लोकतंत्र के आयाम. *शिक्षण शोध पत्रिका*, 12(4), 45-58।
7. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.
8. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
9. Gutmann, A. (1999). *Democratic Education*. Princeton University Press.
10. Jha, J. (2021). Education and Democratic Citizenship in India. *Journal of Educational Planning and Administration*, 35(2), 110-125.
11. Nussbaum, M. C. (2010). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton University Press.
12. PRS Legislative Research. (2023). *Right to Education Act: An Overview*. <https://prsindia.org/>
13. Rousseau, J. J. (1762). *Emile, or On Education*. (B. Foxley, Trans.). Dent.
14. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
15. UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* UNESCO Publishing.
16. World Bank. (2023). *Digital Progress in Education: Bridging the Divide*.  
<https://www.worldbank.org/en/topic/education/>